

SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित करों एवं संपत्ति कर की सूचना।

Memo No : 445144180419121040

Date : 18-04-2019

प्रभावी : 1 2019-2020

श्री.श्रीमती.सुधी - sushil kumar sahu S/O late anandi prashad sahu,
मोहली Inbratandi bihan colony seraikella
seraikella kharsawan 833219
0000000011

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका गया गृह सं - 0070000348000A3 वार्ड सं 7 हुआ है, आपके स्व-निर्धारण बोधना कर के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 2100/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना

| क्रम सं० | Particulars | Amount (In Rs.) |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1 | गृह कर | 11.00 |
| 2 | रह कर | 0.00 |
| 3 | पौधाकरण कर | 0.00 |
| 4 | बिजली कर | 0.00 |
| 5 | संवित्तन गृह कर (यदि कोई स्व-दण्ड की व्यवस्था नहीं होनी के कारण) | 0.00 |
| कुल राशि (प्रति तिमाही) | | 11.00 |



To be signed by the Applicant

श्री. श्रीमती. सुधी - sushil kumar sahu S/O late anandi prashad sahu
www.jsharkhandnada.net/192 प्रदर्शित है।
1. इस सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है।
2. सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है।
3. सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है।
4. सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है।
5. सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है।
6. सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है।
7. सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है।
8. सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है।
9. सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है।
10. सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है। सूचना को जनता के माध्यम से सूचित किया गया है।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.